मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2012-श्रावण 5, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2012

(केन्द्रीय वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित)

क्र.आर./138/12/6828.—मध्यप्रदेश वक़्फ़ अधिकरण भोपाल द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 16 जून, 2000 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर की सिविल रिवीजन दिनांक 10 अगस्त, 2010 द्वारा दिये गये निर्णय के परिपालन में कार्यालय के आदेश क्रमांक 3292-95, दिनांक 31 मार्च, 2012 एवं आदेश क्र. 3856-59, दिनांक 25 अप्रैल, 2012 से भूमि कस्बा तराना, खसरा नं. 166 रकबा 2.428 हेक्ट., 609 रकबा 0.085 हेक्ट. 610 में से रकबा 0.388 हेक्ट., 611 रकबा 0.283 हेक्ट., 612 रकबा 0.121 हेक्ट., 613 में से रकबा 0.130 हेक्ट., 614 रकबा 0.061 हेक्ट., 615 रकबा 0.316 हेक्ट., 618 रकबा 0.239 हेक्ट., 619 में से 0.117 हेक्ट., 610/1388 रकबा 0.024 हेक्ट., कुल 11 किता 4.192 हेक्टेयर एवं भूमि ग्राम नाटा खेड़ी, तहसील तराना, खसरा नं. 59 रकबा 9.154 हेक्ट., 63 रकबा 0.178 हेक्ट., 64 रकबा 2.575 हेक्ट., 65 रकबा 3.593 हेक्ट., कुल 4 किता 15.500 हेक्ट., वर्तमान खसरा नं. 106 रकबा 15.500 हेक्ट., जो कि कार्यालय के वक़्फ़ पंजीयन रजिस्टर क्रमांक 331 राजपत्र के अनुक्रमांक 116 पर दरगाह गुन्दन रानी कस्बा तराना, जिला उज्जैन के नाम से दर्ज है, को वक़्फ़से विलोपित किया गया है.

एस. यू. सैयद,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(88-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म राजावत एण्ड कम्पनी से कैप्टन एस. के. सिंह राजावत पृथक् हो गये हैं तथा उनके स्थान पर श्रीमती ऊषा मिश्रा को कम्पनी में सम्मिलित किया गया है.

द्वारा

भवदीय:

इति, दिनांक 03 जुलाई, 2012

सरनामसिंह तोमर (एडवोकेट) नोटरी,
बिजलीघर के सामने, तानसेन रोड, ग्वालियर.

(87-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण आज के पश्चात् से मुझे आदित्य पिता श्री चंद्रमोहन प्रजापति, निवासी संजय नगर, बुरहानपुर के नाम से जानें.

पुराना नाम :

(आदित्य बर्डिया)

नया नाम :

(आदित्य प्रजापति)
संजय नगर, बुरहानपुर (म. प्र.).

नोट :—मेरे नये तथा पुराने हस्ताक्षर एक ही हैं.

(89-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सचिन बैरागी (SACHIN BAIRAGI) है परन्तु त्रुटिवश हायर सेकेण्डरी की मार्कशीट में मेरा नाम सचिन कुमार बैरागी (SACHIN KUMAR BEERAGI) लिख गया है. जो गलत है. मेरा सही नाम सचिन बैरागी पुत्र श्री बैजूराम बैरागी (SACHIN BAIRAGI S/O BAJU RAM BAIRAGI) है. मैं अपने इसी नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाऊंगा.

पुराना नाम :

(सचिन कुमार बैरागी)
(SACHIN KUMAR BEERAGI)

नया नाम :

(सचिन बैरागी)
(SACHIN BAIRAGI)
B-429, Anand Nagar,
Sagartal Road, Bahodapur,
Gwalior (M.P.).

(90-बी.)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम सुमन लटपटे था, जिसे बदलकर सुभद्रा लटपटे कर लिया था, लेकिन कुछ दस्तावेज में अब भी मेरा पुराना नाम ही लिखा है, अत: अब मुझे सरकारी, गैर-सरकारी सभी जगह, सभी दस्तावेज में एक समान मेरे नये नाम सुभद्रा लटपटे से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुमन लटपटे)
(Suman Latpate)

नया नाम :

(सुभद्रा लटपटे)
(Subhadra Latpate)
101, Bhole Nath Colony, Indore (M.P.).

(91-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम अनिल कुमार था, जिसमें मैंने बदलाव करके अपना उपनाम लगा लिया है. अब मेरा नया नाम अनिल परमानी हो गया है. अब मुझे सभी जगह नये नाम अनिल परमानी से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अनिल कुमार)

नया नाम :

(अनिल परमानी)
(Anil Parmani)
F. No. 4, Happy Tower,
Idgah Hills, Bhopal (M.P.).

(92-बी.)

CHANGE OF NAME

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित रविन्द्र कुमार गोयनका (Ravindra Kumar Goyenka) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित राजेश गोयनका (Rajesh Goyenka) हो गया है.

अत: अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित राजेश गोयनका (Rajesh Goyenka) से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रविन्द्र कुमार गोयनका)
(RAVINDRA KUMAR GOYENKA)

नया नाम :

(राजेश गोयनका)
(RAJESH GOYENKA)
नि. 93, सागर एवेन्यू, अयोध्या बायपास रोड,
भोपाल (म. प्र.).

(93-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री संगमेश्वर शिव सांई धाम ट्रस्ट'' कार्यालय 115-सी संगम नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदिका श्रीमती रजनी पाण्डेय पति संजय पाण्डेय, निवासी 91-सी संगम नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''श्री संगमेश्वर शिव सांई धाम ट्रस्ट'' इन्दौर.
पता	:	115-सी संगम नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,500/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार पाँच सौ मात्र)

आज दिनांक 25 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(323)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री जिझोतिया ब्राह्मण समाज पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर'' कार्यालय चंदेरी कोठी, 21-22, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, अन्नपूर्णा मेन रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री प्रहलाद किशोर मिश्रा पिता स्व. श्री वृज किशोर मिश्रा, निवासी 21-22, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, चंदेरी कोठी, अन्नपूर्णा मेन रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''श्री जिझोतिया ब्राह्मण समाज पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर.''

पता : चंदेरी कोठी, 21-22, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, अन्नपूर्णा मेन रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र)

आज दिनांक 25 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

वंदना पाराशर,
रजिस्ट्रार.

(323-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास अनुभाग, हातोद, जिला इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री भदेसर भैरव शक्ति चेरिटेबल ट्रस्ट'' कार्यालय 38, मंगल मार्ग, गांधी नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक जमनालाल जोशी पिता फतेहलाल जोशी, निवासी 38, मंगल मार्ग, गांधी नगर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''श्री भदेसर भैरव शक्ति चेरिटेबल ट्रस्ट.''

पता : 38, मंगल मार्ग, गांधी नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 2 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शिलेन्द्र सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी.

(324)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 15 जून, 2012

प्रारूप-4

प्र.क्र. 06/बी-113/11-12.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री केदारनाथ कटारे, प्रबंधक एवं अन्य संस्थापक न्यासीगण द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	. .	श्री खुशीलाल तिवारी स्मृति परमार्थ सार्वजनिक न्यास, दण्डोतिया सदन, माधवगंज, खरीफाटक रोड, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति	. .	राशि रु. 10,000/- नकद, ओरियन्टल बैंक खाता नं. 10236 में जमा.
3. अचल सम्पत्ति	. .	वर्तमान में नगर में कोई अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की नहीं है.

अविनाश तिवारी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(325)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, रघुराजनगर जिला सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना जिला के समक्ष.

यत: कि स्वामी संतशरण जी महाराज हनुमंत कुंज आश्रम शिवपुरी, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये

आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 27 अगस्त, 2012 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	:	अनन्त श्री विभूषित स्वामी संतशरण जू महाराज, सेवा निजी न्यास, ग्राम शुक्ला बरदाडीह, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना.
2. अचल सम्पत्ति	:	मौजा शुक्ला की आ. नं. 78/3 रकबा 1.01 एकड़, 84/2 रकबा 0.13 एकड़, 85/2 रकबा 0.38 एकड़.
3. चल सम्पत्ति	:	आश्रम का निर्मित भवन मूल्य 3,00,000.00 (तीन लाख रु.) एक कूप, एक ट्यूबवेल तथा जीप क्र. एम. पी. 19-सी. ए. 3772.

प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उप-धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, आर. के. बागरी, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 अगस्त, 2012 को 30 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

आर. के. बागरी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(326)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेडू ,तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 782, दिनांक 14 जून, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.217, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., बावल्या, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 1 अप्रैल, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 227 , दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., मातमोर, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 313, दिनांक 28 दिसम्बर, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 255, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 जनवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 13 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., नयापुरा तहसील खातेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1036, दिनांक 4 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 230, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 13 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. सं. मर्या., बिज्जूखेड़ा, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 430, दिनांक 10 मई, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 213, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाए, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटोनी, तहसील..... जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 661, दिनांक 25 अगस्त, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 259, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 13 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/

एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

(महिला) दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावदा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 20 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 252, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एच. आर. मालवीय, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 229, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटी चुरलाय, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 254, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 13 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर, दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेतखेड़ी, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 29 मई, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 231, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पत्थर गुराड़िया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 211, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/

एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटाड़ी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 614, दिनांक 30 नवम्बर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 228, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 12 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(327-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमाखेड़ी तहसील .....जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 27 फरवरी, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 220, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(328)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शुकवासा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 700, दिनांक 1 सितम्बर, 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र 257, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(328-A)

देवास, दिनांक 9 जुलाई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

नटराज फल, साग-सब्जी एवं बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खातेगांव, तहसील खातेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक..... दिनांक.....है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. ..... दिनांक..... को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक ..... तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक .....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद गोसाई, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद गोसाई, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(328-B)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत स्वास्तिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1877, दिनांक ..... है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605,

दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर स्वास्तिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह दांगी, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रवि जागृति सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./918, दिनांक 10 जनवरी, 1990 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर रवि जागृति सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शैलके, C.I .को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-A)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इन्दौर मर्केन्टाईल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1817, दिनांक 13 जनवरी, 1997 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर मर्केन्टाईल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, S.A. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-B)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत एक दत्ताम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./....., दिनांक ..... है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर एक दत्ताम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, S.A. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-C)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत महाजन मर्केन्टाईल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1786, दिनांक 27 जुलाई, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर महाजन मर्केन्टाईल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जाफर अली अंसारी, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-D)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मालवा विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1881, दिनांक 7 मार्च, 1992 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं,

शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर मालवा विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश नारायण गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-E)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इन्दिरा महिला सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1849, दिनांक 16 जुलाई, 1997 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर इन्दिरा महिला सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश नारायण गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-F)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत युवा नेहरू सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1766, दिनांक 20 फरवरी, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर युवा नेहरू सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश नारायण गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-G)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत झुग्गी बस्ती महिला सहकारी संस्था

मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1824, दिनांक 18 मार्च, 1997 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर झुग्गी बस्ती महिला सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश नारायण गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-H)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इन्दौर सोशल ग्रुप सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1066, दिनांक 4 मई, 1991 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर इन्दौर सोशल ग्रुप सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश नारायण गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-I)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत माँ केला डेरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2025, दिनांक 01 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर माँ केला डेरी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश नारायण गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-J)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत गौड ब्राम्हण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1168, दिनांक 22 अक्टूबर, 1948 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर गौड ब्राम्हण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शैलके, C.I. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-K)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत महानगर क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1815, दिनांक 20 जनवरी, 1997 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर महानगर क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शैलके, C.I.को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-L)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत कृषि विभाग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./58, दिनांक 26 मार्च, 1987 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण-पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर कृषि विभाग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शैलके, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-M)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सुरक्षा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1862, दिनांक 23 अक्टूबर, 1997 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर सुरक्षा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शैलके, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-N)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत महिला जागृति सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2019, दिनांक 1 जनवरी, 2001 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर महिला जागृति सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शैलके, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-O)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत विवेकानन्द सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1786, दिनांक 27 जुलाई, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर विवेकान्द सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जाफर अली अंसारी, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-P)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री मालवा क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1768, दिनांक 1 मार्च, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर श्री मालवा क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जाफर अली अंसारी, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-Q)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत म. प्र. टेक्स को-आप. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1204, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर म. प्र. टेक्स को-आप. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जाफर अली अंसारी, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-R)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री संचियका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1958, दिनांक 8 सितम्बर, 1999 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर श्री संचियका सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जाफर अली अंसारी, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-S)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत आदर्श मेकेनिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./865, दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर आदर्श मेकेनिक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जाफर अली अंसारी, CI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-T)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत अल्प संख्यक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./896, दिनांक 15 मार्च, 1989 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर अल्प संख्यक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह दाँगी, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-U)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पुष्पांजली सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2119, दिनांक 19 मई, 2003 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर पुष्पांजली सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह दाँगी, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-V)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सुपीय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./919, दिनांक 15 जनवरी, 1990 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर सुपीय सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह दाँगी, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-W)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत धनवर्षा महिला सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1989, दिनांक 12 जुलाई, 2000 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर धनवर्षा महिला सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह दाँगी, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-X)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत स्वर सागर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1923, दिनांक 4 दिसम्बर, 1998 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर स्वर सागर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. चौहान, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-Y)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री गंगा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2090, दिनांक 14 जून, 2002 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर श्री गंगा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. चौहान, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(329-Z)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहयोग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1127, दिनांक .....है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर सहयोग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. चौहान, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मारूती सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1785, दिनांक 2 जुलाई, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर मारूती सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, SA को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-A)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इन्दौर नगर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1886, दिनांक 25 मार्च, 1998 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर इन्दौर नगर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, SA को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-B)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत हिंगलाज सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1127, दिनांक 2 जनवरी, 1992 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर हिंगलाज सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, SA को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-C)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत पाटनीपुरा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1747, दिनांक 29 नवम्बर, 1995 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर पाटनीपुरा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, SA को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-D)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत माइको क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./556, दिनांक 17 अप्रैल, 1980 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर माइको क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, SA को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-E)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत युनीवर्सल मर्केन्टाईल सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1865, दिनांक 25 नवम्बर, 1997 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर युनीवर्सल मर्केन्टाईल क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रूपचन्द्र जरिया, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-F)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत जन कल्याण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1708, दिनांक 9 दिसम्बर, 1995 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर जन कल्याण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रूपचन्द्र जरिया, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-G)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत म. प्र. क्रेडिट को. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2158, दिनांक 13 अगस्त, 2004 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर म. प्र. क्रेडिट को. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रूपचन्द्र जरिया, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-H)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रघुवंशी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1749, दिनांक 7 अक्टूबर, 1995 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर इन्दौर रघुवंशी सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रूपचन्द्र जरिया, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-I)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री गणेश सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./..... दिनांक ..... है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर श्री गणेश सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रूपचन्द्र जरिया, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-J)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री चेतन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1743, दिनांक 12 अक्टूबर, 1995 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर श्री चेतन सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह ठाकुर, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-K)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत दी केमिस्ट क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1126, दिनांक 20 फरवरी, 1994 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर दी केमिस्ट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह ठाकुर, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-L)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत म. प्र. डेव्लेपमेंट क्रेडिट सहकारी

संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2000 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर म. प्र. डेव्लेपमेंट क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री रूपचन्द्र जरिया, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-M)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत जगदम्बा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1921, दिनांक 9 दिसम्बर, 1998 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर जगदम्बा सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह ठाकुर, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-N)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत इन्द्र धनुष सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1737, दिनांक 25 सितम्बर, 1995 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर इन्द्र धनुष सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह ठाकुर, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-O)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत श्री यंत्र को-आप. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1775, दिनांक 11 अप्रैल, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर श्री यंत्र सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह ठाकुर, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-P)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत कलोता विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1939, दिनांक 12 मार्च, 1999 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर कलोता विकास सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अमर सिंह ठाकुर, AO को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-Q)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संयुक्त कर्म. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./1813, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर संयुक्त कर्म. सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. चौहान, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(330-R)

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत समता सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./606, दिनांक 29 अक्टूबर, 1981 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दिनांक 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर समता सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. चौहान, SCI को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
सहायक आयुक्त.

(330-S)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2012-श्रावण 5, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के कुछ जिलों में वर्षा हुई है, जो निम्नानुसार है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, जिला (मुरैना), त्यौंथर, हनुमना, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), राजगढ़ (राजगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला प. निमाड़, बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला गुना, दतिया, दमोह, रायसेन, बैतूल, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में फसल गेहूँ व नीमच, भोपाल में गेहूँ, चना व पन्ना में मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर व अनूपपुर, मण्डला तथा देवास, धार, इन्दौर, हरदा में रबी मौसम की फसल कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, झाबुआ, रायसेन, सिंगरौली में कहीं-कहीं पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, सोयाबीन,गेहूँ, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	5.0		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली अधिक. तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .		हुई.		
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) गेहूँ चना, सरसों, धनिया समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) गेहूँ, जौ समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) गेहूँ समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों सुधरी हुई.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	16.0		4. (1) अलसी अधिक. मसूर कम. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	3.7				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. रायपुरकर्चुलियान	5.0				
9. सेमरिया	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. जबा	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	13.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	4.1		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		. मटर, लाख, तिवड़ा, गेहूँ, जौ		
4. कुसमी	. .		समान.		
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		मटर समान.		
			(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		ज्वार, तुअर समान.		
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जावद	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, आलू, प्याज अधिक. चना, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
***जिला अलीराजपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	3.2		समान.		
4. ब्यावरा	. .		(2) . .		
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .		
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन : 1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गोहरगंज 5. बरेली 6. सिलवानी 7. बाड़ी 8. उदयपुरा	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. जौ, चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला बैतूल : 1. भैसदेही 2. घोड़ाडोंगरी 3. शाहपुर 4. चिचोली 5. बैतूल 6. आठनेर 7. मुलताई 8. आमला	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला होशंगाबाद : 1. सिवनी-मालवा 2. होशंगाबाद 3. बाबई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. वनखेड़ी 8. पचमढ़ी	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला हरदा : 1. हरदा 2. खिड़किया 3. टिमरनी 4. हण्डिया 5. रहटगांव 6. सिराली	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला जबलपुर : 1. सीहोरा 2. पाटन 3. जबलपुर 4. मझौली 5. कुण्डम	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला कटनी : 1. कटनी 2. रीठी 3. विजयराघवगढ़ 4. बहोरीबंद 5. ढीमरखेड़ा 6. बरही	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
***जिला छिन्दवाड़ा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला रतलाम, अलीराजपुर, पूर्व निवाड़, छिन्दवाड़ा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(322)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.